न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर जिला अजमेर

रसद अपील सख्या 01/2017(2017/00241)

श्री बालसिंह पुत्र श्री छीतर सिंह जाति रावत निवासी ग्राम कोटाज जिला– अजमेर डीलर उचित मूल्य दुकान एफ पी एस कोड नं0 2281 केसरपुरा (पीसांगन)

.......अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए जिला रसद अधिकारी, अजमेर। ....रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976

उपस्थितः– नीरज जैन, प्रवर्तन अधिकारी पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 11.12..2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा एक ही आधार कार्ड से एक से अधिक ट्रान्जेक्शन किये जाने की खाद्य विभागीय रिपोर्ट के आधार पर जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वारा विभागीय प्रकरण सं0 466/16 दर्ज कर कारण बताओं नोटिस जारी किया गया, जिसका अपीलान्ट द्वारा लिखित में स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया कि "उपभोक्ताओं को नियमानुसार पीओएस मशीन द्वारा गैहूँ दिया गया है। माह अगस्त 2016 में राज्य सरकार का दवाब था कि अधिकाधिक उपभोक्ताओं को पोस मशीन से गैहूँ वितरण किया जावें लेकिन कुछ उपभोक्ताओं के अंगूँठे (फिंगर) निशान मशीन में नहीं आ रहे थे तो सरकार की मंशानुसार नजदीकी ई–मित्र पर जाकर रजिस्ट्रेशन व फिंगर प्रिंट उपडेट कराने हेतु उपभेक्ताओं को प्रेरित किया गया था। पीओएस में नेटवर्क/सर्वर की समस्या की वजह से फिंगर, निशान नहीं आने से खाद्यान्न प्राप्ति से वंचित रहे उपभोक्ताओं को गेंहूँ उपलब्ध कराया गया तथा उनके राशनकार्ड में भी इन्द्राज किया गया। "अपीलान्ट के इस स्पष्टीकरण पर जिला रसद अधिकारी, अजमेर द्वारा क्षैत्रीय प्रवर्तन निरीक्षक से जांच रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार अपीलान्ट डीलर द्वारा एक ही आधार संख्या 462436487025 का दुरूपयोग कर अलग–अलग उपभेक्ताओं के कुल 29 राशन कार्डो के साथ सीडिंग करके FPS कोड संख्या 2281 पीओएस मशीन से 405 किलोग्राम गैहूँ तथा FPS कोड संख्या 7595 पीओएस मशीन से 145 किलोग्राम गैहूँ एवं 20 लीटर अनुदानित केरोसीन का फर्जी ट्रान्जेंक्शन दिनांक 30.8.2016 को सांय 4.40 बजे से 6.56 बजे मध्य किया जाना पाया गया। इनमें से दो ट्रान्जेंक्शन दिनांक 1.01.2016 को 9.50 ए.एम पर किया गया। इस प्रकार दोनो पीओएस मशीन से गलत तरीके से कुल 51 अवैधानिक ट्राजेंक्शन किया जाना पाया गया। उपरोक्त ट्रान्जेंक्शन में अप्रार्थी द्वारा E-PDS के साथ BDO ID (BDO-1190006) का प्रयोग किया गया। इस प्रकार डीलर द्वारा कुल 550 किलोग्राम गैहूँ एवं 88 लीटर केरोसीन का गलत तरीके से अवैधानिक ट्रान्जेंक्शन किया जाना पाया गया। एक आधार कार्ड की आई डी का उपयोग कर दूसरे व्यक्तियों के राशनकार्डो पर ट्रांन्जेक्शन करना पूर्णतः अवैधानिक एवं नियम विरूद्ध होने से जिला रसद अधिकारी, अजमेर द्वारा विभागीय प्रकरण में दिनांक 06.12..2016 को आदेश पारित कर अपीलान्ट का एफपीएस कोड नं0 2281 ग्राम

जिला कलक्टर,
अजमेर

9– यह कि इसी ध्येय को मध्यनजर रखते हुए अपीलकर्ता ने पोस मशीन से रसद सामग्री

Scanned by CamScanner

केसरपुरा एवं FPS कोड संख्या 7595 ग्राम कोटाज का प्राधिकार पत्र तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया गया। तत्पश्चात अपीलान्ट को विभागीय आदेशों एवं राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 11, 17 (सी) एवं 18 के उल्लंघन का दोषी मानते हुए जिला रसद अधिकारी, अजमेर द्वारा दिनांक 10.08.2017 को अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर जमा प्रतिभूति जब्त सरकार किये जाने का आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेन्ट के इसी आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पों. की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। दौराने सुनवाई रूक–रूक कर आवाजे लगवाने के उपरान्त भी अपीलान्ट/अभिभाषक अपीलान्ट उपस्थित नहीं आये। उपस्थित पैरोकार सरकार द्वारा सुनवाई चाहने पर न्यायहित में अपीलान्ट के अपील तथ्यों को ही अपील बहस मानते हुए उपस्थित पैरोकार सरकार को सुना गया।

अपील में मुख्य तथ्य यह दर्ज किये गये है कि अपीलान्ट पिछले 32 वर्षो से उचित मूल्य दुकान का संचालन ईमानदारी से कर रहा है इस अवधि में अपीलान्ट के विरूद्ध एक भी शिकायत विभाग को प्राप्त नहीं हुई। सन् 1985 से वर्तमान प्रकरण तक अपीलान्ट के विरूद्ध कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ। अपीलान्ट के राज्य सरकार के खाद्य विभाग द्वारा रसद सामग्री के वितरण हेतु पीओएस मशीन का वितरण किया गया, किन्तु इस बाबत कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया। पीओएस मशीन में उपभोक्ताओं के अंगूठे निशान नहीं आने पर क्या कार्यवाही की जानी है इस बाबत कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिये गये। जानकारी किये जाने पर प्रवर्तन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा केवल यही निर्देश दिये गये कि किसी उपभोक्ता की रसद सामग्री नहीं मिलने की शिकायत नहीं आनी चाहिए। इसी बात को मध्यनजर रखते हुए अपीलान्ट द्वारा रसद सामग्री का वितरण किया गया। जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस का अपीलान्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत किया। अपीलान्ट द्वारा उचित मूल्य दुकान अनुज्ञा पत्र के निलम्बन कार्यवाही के विरूद्ध एक रिट पिटिशन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई। जिस पर माननीय न्यायालय जयपुर बैंच द्वारा दिनांक 11.8.2017 को आदेश इस आश्य का पारित किया कि यदि डीलर के प्राधिकार पत्र के निलम्बन की अवधि 90 दिवस से अधिक हो गई हो तो पूर्व में पारित आदेश 26.02.2014 व 16.12.2015 के अनुरूप बहाल किया जावें। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.8.2017 से आक्षेपित निलम्बन को निरस्त कर अनुज्ञा पत्र बहाल किये जाने के आदेश दिये गये। जिला रसद अधिकारी, अजमेर ने आदेश दिनांक 6.12.2016 के द्वारा बिना सुनवाई का अवसर एवं सूचना दिए अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। जिला रसद अधिकारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के पारित निर्णय दिनांक 11.8.2017 से एक दिवस पूर्व केवल मात्र मानहानि के डर से आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं राशन कार्ड की प्रतियॉ के बावजूद उपभोक्ताओं के बिना बयान दर्ज किये आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। अतः अपील, अपीलान्ट स्वीकार करते हुए जिला रसद अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 462/2016 में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 10.08.2017 को निरस्त करते हुए अपीलान्ट का उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र को बहाल करने की कृपा करें।

उपस्थित पैरोकार सरकार ने निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा एक ही आधार कार्ड से एक से अधिक ट्रान्जेक्शन किये जाने की खाद्य विभाग की रिपोर्ट के आधार पर जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वारा विभागीय प्रकरण दर्ज कर कारण बताओं नोटिस जारी किया गया, जिसका अपीलान्ट द्वारा लिखित में स्पष्टीकरण पेश किया गया। जिस पर क्षैत्रीय प्रवर्तन निरीक्षक से जांच रिपोर्ट तलब की गई। प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार अपीलान्ट डीलर द्वारा एक ही आधार संख्या 462436487025 का दुरूपयोग कर अलग–अलग

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner

उपभेक्ताओं के कुल 29 राशन कार्डो के साथ सीडिंग करके FPS कोड संख्या 2281 पीओएस मशीन से 405 किलोग्राम गैहूँ तथा FPS कोड संख्या 7595 पीओएस मशीन से 145 किलोग्राम गैहूँ एवं 20 लीटर केरोसीन का फर्जी ट्रान्जेंक्शन, E-PDS के साथ BDO ID (BDO-1190006) का प्रयोग कर दोनो पीओएस मशीन से कुल 51 फर्जी ट्राजेंक्शन कर कुल 550 किलोग्राम गैहूँ एवं 88 लीटर केरोसीन का गलत तरीके से अवैधानिक ट्रान्जेंक्शन किया गया। एक आधार कार्ड की आई डी का उपयोग कर दूसरे व्यक्तियों के राशनकार्डो पर ट्रांन्जेक्शन करना पूर्णतः अवैधानिक एवं नियम विरूद्ध होने से विभागीय प्रकरण में दिनांक 06.12..2016 को आदेश पारित कर अपीलान्ट का एफपीएस कोड नं0 2281 ग्राम केसरपुरा एवं FPS कोड संख्या 7595 ग्राम कोटाज का प्राधिकार पत्र तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया गया। तत्पश्चात अपीलान्ट को विभागीय आदेशों एवं राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 11, 17 (सी) एवं 18 के उल्लंघन का दोषी मानते हुए जिला रसद अधिकारी, अजमेर द्वारा दिनांक 10.08.2017 को अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर जमा प्रतिभूति जब्त सरकार किये जाने का आदेश पारित किया गया। अतः अपीलाधीन आदेश पूर्णतया न्यायसंगत, विधि अनुरूप तथा अपीलान्ट द्वारा बरती गई अनियमितताओं के मध्यनजर होने से अपील अस्वीकार कर खारिज फरमाई जावे।

हमने पैरोकार सरकार की बहस पर अपील तथ्यों के परिपेक्ष्य में मनन किया एवं रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। एक ही आधार कार्ड से एक से अधिक ट्रान्जेक्शन किये जाने की विभागीय रिपोर्ट तथा क्षैत्रीय प्रवर्तन निरीक्षक से बाद जाचं प्राप्त रिपोर्ट में अपीलान्ट के विरूद्ध गंभीर अनियमितताओं की पुष्टि होने एवं विभागीय आदेशो एवं राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण एवं विनिमय) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 11, 17 (सी) एवं 18 का स्पष्ट उल्लंघन पाया जाने पर ही जिला रसद अधिकारी अजमेर द्वारा आक्षेपित आदेश द्वारा अपीलान्ट (डीलर) का प्राधिकार पत्र निरस्त कर जमा प्रतिभूति जब्त सरकार की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को जवाब सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर गुणावगुण के आधार पर पारित आदेश में कोई कानूनी भूल किया जाना प्रकट नहीं होने से इसमें कोई हस्तक्षेप करना न्यायसंगत नहीं है। अतः ठोस आधार नहीं होने से अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.08.2017 यथावत रखा जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 11.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर
अजमेर

न्यायालय जिला कलेक्टर अजमेर

Scanned by CamScanner